

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/2011/818

दिनांक 19/8/2011

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।

विषय:- ग्रामीण नर्स द्वितीय के स्थाईकरण किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 2008 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत साक्षात्कार के माध्यम से ग्रामीण नर्स श्रेणी द्वितीय का चयन कर निदेशालय के आदेश संख्या नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/09/355 दिनांक 10.8.2009 के द्वारा नियुक्ति प्रदान कर आपके अधीन 2 वर्ष के परिविक्षा काल पर पदस्थापित किया गया था। जिसमें कार्यग्रहण अवधि दिनांक 14.9.2009 नियत थी जिन ग्रामीण नर्स श्रेणी द्वितीय को दो वर्ष का परिविक्षा काल पूर्ण हो चुका है को उक्त नियमों के नियम 36 (1) (सी) के तहत स्थाईकरण किया जाना है।

अतः आपके अधीन ऐसे ग्रामीण नर्स द्वितीय जिन्होंने दो वर्ष का परिविक्षा काल संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया है उनके स्थाईकरण के संबन्ध में निम्न प्रपत्र में सूचना भिजवावें ताकि स्थाईकरण के आदेश जारी किये जाने पर विचार किया जा सके:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	जाति वर्ग	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान	निदे. के आदेश क्र. एवं दि. एवं क्र.सं.	कार्यग्रहण तिथि	प्रोबेशन पूर्ण करने की तिथि	कार्य संतोषजनक है या नहीं	अन्य विवरण (अनुपस्थिति आदि के बारे में)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

दिनांक

19/8/2011

क्रमांक: नर्सिंग/ग्रामीण नर्स-2/2011/818

प्रतिलिपी प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना को विभाग की वेब साईट पर डाउन लोड करें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर